Dr. Pragya Rai, Asst. Prof. Pol. Science, Maharaja College
BA-1, Paper-2, Unit-II(b)

अप्रैल/April 1998

सोमवार Monday 29 न्यायपालिका के कार्य - I

विभिन्न देशों में न्यायपालिका के कार्यों को हम निम्नलिखित रूप में रख सकते हैं -

(1) कानून और संविधान की व्याख्या करना - अपने देश के संविधान में उत्पन्न विवादों और विभिन्न मुकदमों के सिलसिले में देश के कानूनों की

मंगलवार Tuesday 30 व्याख्या करना न्यायपालिका का मौलिक कार्य है। न्यायपालिका द्वारा की गई व्याख्याओं का महत्व कानूनों के ही समान होता है।

(2) न्याय करना तथा अपराधियों को दंड देना - जब किसी प्रकार का विवाद या मुकदमा न्यायपालिका के सम्मुख आता

है, तब वह मुकदमे के

दोनों पक्षों को सुनकर अपना निर्णय देकर अपराधी को दंड देती है। यह व्यक्तियों के बीच तथा व्यक्तियों और राज्यों के बीच झगड़ों का फैसला करती है।

(3) कानून का निर्माण करना - विभिन्न मुकदमों का फैसला

करने के सिलसिले में न्यायपालिका कानूनों की केवल व्याख्या ही नहीं करती, वरन् इस सिलसिले में वह कानूनों का निर्माण भी करती है। कभी-2 न्यायालयों के सामने ऐसे मुकदमे भी आ जाते हैं जिनका फैसला मौजूदा कानून के अनुसार नहीं

शुक्रवार Friday 3 किया जा सकता। ऐसी स्थिति में न्यायाधीश अपने न्याय, बुद्धि, सत्य-ज्ञान तथा व्यावहारिक ज्ञान और औचित्य के आधार पर उन मुकदमों का फैसला करते हैं। न्यायाधीशों के द्वारा दिये गये ऐसे निर्णय जब मान्य हो जाते हैं, तब वे कानून का रूप धारण कर लेते हैं।

शनिवार Saturday 4 इन्हें हम न्यायाधीश द्वारा निर्मित कानून कहते हैं।

रविवार\Sunday 5